न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2025 **दायर दिनांकः 02.01.2025**

उनवान

1. शबनम आयु 33 वर्ष पुत्री सकीना जाति मुसलमान निवासी कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०) हाल निवासी किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 12.03.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड़ पटवार हल्का कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 487 का ख.नं. 1021 का रकबा 0.68 हे०, ख.नं. 1025 का रकबा 1.24 हे0, ख.नं. 1026 का रकबा 2.06 हे0, ख.नं. 1302 का रकबा 0.04 हे० बारानी उत्तम कुल किता 4 का कुल रकबा 4.02 हे0 आराजी प्रार्थिया के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थिया को उसकी माता से विरासत में प्राप्त हुई है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थिया की माता सकीना की मृत्यु के बाद फोती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम कुन्जैड़ की आराजी खाता संख्या 487 में प्रार्थिया का नाम शबनम के स्थान पर [illegible] पर[illegible]डो कहने के कारण लाड़बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया के दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थिया का सही नाम शबनम दर्ज है इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम शबनम दर्ज किया जावे। नामान्तकरण की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम कुन्जैड़ की खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:43:18 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 487 में प्रार्थिया का नाम लाड़बाई के स्थान पर शबनम दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम शबनम दर्ज नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम लाडबाई के स्थान पर सही नाम शबनम दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम कुन्जैड़ की आराजी खाता संख्या 487 में प्रार्थिया का नाम लाड़बाई के स्थान पर सही नाम शबनम दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। साक्ष्य प्रार्थीया के तहत शपथ पत्र शबनम पुत्री सकीना जाति फकीर निवासी कुन्जैड, अब्बास अली पुत्र अब्दुल रजाक जाति फकीर निवासी अटरू, सलीम पुत्र सकीना जाति फकीर निवासी कुन्जैड के शपथ पत्र पेश किए गए तथा सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/433 दिनांक 24.02.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड सम्वत 2074–77 खाता संख्या 487, मतदाता पहचान पत्र शबनम, आधार कार्ड शबनम, पेन कार्ड शबनम, राशन कार्ड शब्बीर हुसैन, बैंक पासबुक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्राम पंचायत किशनगंज प्रमाण पत्र, शपथ पत्र गवाह व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, निरीक्षण, साक्ष्य पत्रावली तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं तहसील कुन्जैड अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 487 का ख.नं. 1021 का रकबा 0.68 हे०, ख.नं. 1025 का रकबा 1.24 हे0, ख.नं. 1026 का रकबा 2.06 हे0, ख.नं. 1302 का रकबा 0.04 हे० कुल किता 4 का कुल रकबा 4.02 हे0 आराजी में सह खातेदार लाड बाई पुत्री सकीना के स्थान पर शबनम उर्फ लाड बाई पुत्री सकीना किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:43:18 IST
Reason: SelfAttested

जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 487 का ख.नं. 1021 का रकबा 0.68 हे०, ख.नं. 1025 का रकबा 1.24 हे0, ख.नं. 1026 का रकबा 2.06 हे0, ख.नं. 1302 का रकबा 0.04 हे० कुल किता 4 का कुल रकबा 4.02 हे0 आराजी में सह ख्लाड बाई पुत्री सकीना के स्थान पर शबनम उर्फ लाड बाई पुत्री सकीना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:43:18 IST
Reason: SelfAttested